

अध्याय IV

अनुपालन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग

4.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु कम मूल्य वाली भूमि का हस्तांतरण

वैकल्पिक स्थल पर ईडब्ल्यूएस के लिए हस्तांतरित की गई भूमि का मूल्य कम होने के कारण कॉलोनाइजर को ₹ 1.54 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाना

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम और नगरपालिका (कॉलोनाइजर के पंजीकरण, नियम एवं शर्तें) नियम, 2013 के नियम 10(1) के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा कुल क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत भूमि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सक्षम प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी। आगे, नियम 10(2) के अनुसार, यदि किसी कारण से कॉलोनाइजर प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी में भूमि हस्तांतरित करने की बजाय वैकल्पिक स्थान पर भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह कुछ शर्तों के तहत ऐसा कर सकता है, जो नियम में उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम और नगरपालिका के नियम 10(2)(घ) के अनुसार प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी की भूमि के 15 प्रतिशत मूल्य के बराबर मूल्य वाली भूमि की पेशकश की जानी चाहिए, बशर्ते कि प्रस्तावित भूमि का उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय रूप में निर्धारित किया गया हो। नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि के मूल्य की गणना बाजार मूल्य निर्धारण सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।

कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, कांकेर के अभिलेखों की जांच (नवंबर 2019) से यह पाया गया कि कॉलोनाइजर¹ को सहायक संचालक, नगर और ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कांकेर द्वारा जुलाई 2015 में आदर्श नगर, श्रीराम नगर वार्ड में 8.80 एकड़ (35612 वर्ग मीटर) के कुल क्षेत्रफल में आवासीय कॉलोनी (गोकुल धाम) विकसित करने की अनुमति दी गई थी, जो राजस्व विभाग द्वारा भूमि के परिवर्तन की शर्त पर थी। राजस्व विभाग द्वारा अप्रैल 2017 में भूमि उपयोग को पूर्वव्यापी तिथि अर्थात् वर्ष 2014–15 से परिवर्तित किया गया। कॉलोनाइजर द्वारा प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी में भूमि के कुल मूल्य की गणना के लिए कृषि भूमि की दरों का उपयोग किया और जिसके अनुसार 5284.87 वर्ग मीटर भूमि जिसका मूल्य ₹ 28.12 लाख था को ईडब्ल्यूएस के लिए में वैकल्पिक स्थल पर हस्तांतरित (अक्टूबर 2016) की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर और ग्राम निवेश द्वारा कॉलोनी के विकास के लिए दी गई अनुमति के अनुसार कॉलोनाइजर द्वारा प्रस्तुत भूमि को आवासीय होना चाहिए था और तदनुसार भूमि को परिवर्तित (डाइवर्टेड) किया जाना था। इसलिए, आवासीय कॉलोनियों के लिए निर्धारित प्लॉट दर की जगह कृषि भूमि के लिए निर्धारित दर का उपयोग कर आवासीय कॉलोनी की भूमि के 15 प्रतिशत के बराबर मूल्य की गणना

¹ मेसर्स सतगुरु इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (गोकुलधाम)

करना और इसे ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिए हस्तांतरित करना सही नहीं था।

बाजार मूल्य निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत वर्ष 2016–17 के अनुसार आवासीय प्लॉट के लिए निर्धारित दरों के अनुसार, प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी में भूमि का कुल मूल्य ₹ 24.20² करोड़ था। उपरोक्त नियम 10(2)(घ) के अनुसार, कॉलोनाइजर को वैकल्पिक स्थल पर 15 प्रतिशत भूमि के मूल्य (मूल्य ₹ 3.63 करोड़) के बराबर भूमि की पेशकश करनी थी, किन्तु कॉलोनाइजर द्वारा मात्र ₹ 2.09³ करोड़ की भूमि (5284.87 वर्ग मीटर) हस्तांतरित की। इस प्रकार कॉलोनाइजर द्वारा ₹ 1.54 करोड़ (₹ 3.63 करोड़ – ₹ 2.09 करोड़) कम मूल्य की भूमि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए हस्तांतरित की गई।

इससे न केवल कॉलोनाइजर को ₹ 1.54 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ, अपितु समाज के ईडब्ल्यूएस को उनके वैधानिक अधिकार वाली भूमि से भी वंचित किया गया।

इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (जनवरी 2024) कि कृषि भूमि से संबंधित दरें लागू थीं न कि विकसित भूमि के लिए निर्धारित दरें जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया। कृषि भूमि के मामले में, जिसका क्षेत्रफल 0.15 हेक्टेयर या उससे कम है, प्रति वर्ग मीटर की दर लागू थी और 0.15 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की भूमि के मामले में, क्षेत्र की कृषि भूमि की दर प्रति हेक्टेयर लागू थी। शासन ने आगे बताया कि आवासीय कॉलोनी की भूमि पहले अविकसित भूमि में प्रस्तावित की गई थी और नगर और ग्राम निवेश ने अपने आदेश में परिवर्तन की शर्त जोड़ दी थी, जो यह दर्शाती है कि प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी की भूमि कृषि भूमि थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी की अनुमति नगर और ग्राम निवेश द्वारा कॉलोनाइजर से भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्त पर दी गई थी। भूमि उपयोग को वर्ष 2014–15 से आवासीय के रूप में परिवर्तित भी किया गया था, इसलिए प्रस्तावित कॉलोनी पर आवासीय प्लॉट की दरें लागू थीं। कृषि भूमि की दरों को लागू करके, भूमि का अवमूल्यन हुआ और वैकल्पिक स्थल पर ईडब्ल्यूएस को कम भूमि हस्तांतरित करके कॉलोनाइजर को अनुचित लाभ दिया गया।

4.2 कॉलोनाइजरों से शुल्क की कम वसूली

कोरबा नगरपालिक निगम द्वारा भूमि की अनुचित दर उपयोग किए जाने के कारण तीन कॉलोनाइजरों से ₹ 76 लाख के शुल्क की कम वसूली

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम और नगरपालिका (कॉलोनाइजर के पंजीकरण, नियम एवं शर्तें) नियम, 2013 के नियम 10(1) के अनुसार, कॉलोनाइजर को 15 प्रतिशत भूमि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकरण को स्थानांतरित करनी चाहिए। इसके अलावा, नियम 10(3) के अनुसार यदि प्रस्तावित कॉलोनी का क्षेत्रफल एक एकड़ से कम है, तो कॉलोनाइजर को जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित भूमि के क्षेत्रफल के लिए

² कुल भूमि क्षेत्रफल = 35612 वर्ग मीटर, वर्ष 2016–17 में भूमि का मूल्य (पहले 4048 वर्ग मीटर ₹ 8731/वर्ग मीटर की दर से) + (शेष 31564 वर्ग मीटर ₹ 8731 के 75 प्रतिशत की दर से) = ₹ 24.20 करोड़]

³ कुल भूमि क्षेत्रफल = 5284.87 वर्ग मीटर, {वर्ष 2016–17 में भूमि का मूल्य (पहले 4048 वर्ग मीटर ₹ 4205/वर्ग मीटर की दर से) + (शेष 1236.87 वर्ग मीटर ₹ 4205 के 75 प्रतिशत की दर से)} = ₹ 2.09 करोड़]

मौजूदा दर पर शुल्क भुगतान करने का विकल्प दिया जाता है और राशि को नगरपालिका के "गरीबों की सेवाओं के लिए कोष" बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-संचालक, नगर और ग्राम निवेश, कोरबा द्वारा नगरपालिक निगम, कोरबा के तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर तीन निजी कॉलोनाइजरों⁴ को क्रमशः मार्च 2016, जुलाई 2016 और दिसंबर 2018 में आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि विकास की अनुमति प्रदान की गई थी। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि विकास के लिए भूमि को भू-राजस्व विभाग के अभिलेखों में आवासीय के रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है। उपरोक्त तीन मामलों में से दो मामलों में अनुमति देने के समय भूमि के उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किया गया, जबकि एक मामले में नगर और ग्राम निवेश द्वारा अनुमति देने के बाद मई 2018 में भूमि उपयोग परिवर्तित करने का आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा, कोरबा नगरपालिक निगम द्वारा इन तीन कॉलोनाइजरों को कोरबा नगरपालिक निगम के इन तीन विभिन्न स्थलों पर कॉलोनियों के विकास और फ्लैटों के निर्माण के लिए क्रमशः नवंबर 2016, दिसंबर 2017 और जनवरी 2019 में अनुमति प्रदान की गई थी। इन तीन कॉलोनाइजरों को विकास के लिए आवंटित भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 2,267.06 वर्ग मीटर (0.223 हेक्टेयर), 3,039.03 वर्ग मीटर (0.304 हेक्टेयर) और 3,474.62 वर्ग मीटर (0.347 हेक्टेयर) था। प्रस्तावित कॉलोनियों का भूमि क्षेत्रफल एक एकड़ (0.405 हेक्टेयर) से कम होने के कारण, कॉलोनाइजरों द्वारा ईडल्यूएस के लिए हस्तांतरित किए जाने वाले 15 प्रतिशत भूमि के बदले मौजूदा भूमि दर पर "गरीबों की सेवाओं के लिए कोष" में शुल्क का भुगतान करने का विकल्प चुना। तदनुसार, कॉलोनाइजरों द्वारा 15 प्रतिशत भूमि के बदले शुल्क के रूप में ₹ 2.72 लाख, ₹ 1.08 लाख और ₹ 4.37 लाख कुल ₹ 8.17 लाख जमा किया गया था।

कॉलोनाइजर द्वारा भूमि के बदले भुगतान किया गया शुल्क कृषि भूमि के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रति हेक्टेयर दर के आधार पर गणना किया गया था, क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा भूमि के लिए बाजार दरें पृथक से निर्धारित नहीं की गई थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक के लिए अचल संपत्ति के बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुसार यदि किसी कृषि भूमि का क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर से कम है और नगरपालिक निगम की सीमा के अंदर आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया है, तो उस क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित प्लॉट दरों पर बाजार मूल्य की गणना की जानी चाहिए। इन तीन स्थलों पर भूमि की प्लॉट दरें ₹ 7,125 प्रति वर्ग मीटर, ₹ 6,700 प्रति वर्ग मीटर और ₹ 5,600 प्रति वर्ग मीटर थीं। इसलिए, इन स्थलों के लिए 15 प्रतिशत भूमि के बदले में शुल्क क्रमशः ₹ 24.23 लाख, ₹ 30.54 लाख और ₹ 29.19 लाख कुल मिलाकर ₹ 83.96 लाख होगा।

⁴ मेसर्स सर्वमंगला बिल्डकॉन (2267.06 वर्ग मीटर), मेसर्स आरकेसी इंफ्राटेक (3039.03 वर्ग मीटर) और मेसर्स एच. एम. इंफ्राटेक, कोरबा (3474.62 वर्ग मीटर)

इस प्रकार कुल ₹ 83.96 लाख के शुल्क की वसूली की जानी चाहिए थी, जबकि कॉलोनाइजरों द्वारा गरीबों के लिए सेवा कोष में ₹ 8.17 लाख का शुल्क जमा किया गया। बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित दर को सही तरीके से लागू करने में कोरबा नगरपालिक निगम की विफलता के कारण गरीब कोष में ₹ 75.79 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित (फरवरी 2020) किये जाने पर आयुक्त, नगरपालिक निगम, कोरबा द्वारा जवाब में बताया गया (सितंबर 2021) कि शुल्क की राशि उप पंजीयक द्वारा जारी अचल संपत्ति के मूल्य निर्धारण मार्गदर्शिका के अनुसार अविकसित भूमि के प्रति हेक्टेयर की दर पर वसूली की गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी 0.405 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की कृषि भूमि यदि आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित की जाती है, तो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित प्लॉट दरें लागू होंगी। इसलिए शुल्क की वसूली मार्गदर्शिका में निर्धारित उच्च दरों पर की जानी चाहिए थी।

प्रकरण शासन को मई 2022 में सूचित किया गया था। हालांकि, जनवरी 2023 तक शासन का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

4.3 कार्य में उपयोग किए गए पाइप्स के लिए ठेकेदार को उच्च दरों पर अनियमित भुगतान

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ठेकेदार को कार्य में प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स का उपयोग किये जाने पर प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप्स के लिए लागू उच्च दरों पर भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.88 करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना

छत्तीसगढ़ वित्तीय सहिता के खण्ड 2 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो सार्वजनिक निधि से किसी भी व्यय का उपभोग या अनुमति प्रदान करता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लंघन नहीं करता है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक निधि से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतेगा जैसा कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करेगा। व्यय को प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

मिशन संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूड़ा) द्वारा अटल मिशन फॉर रेजिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के तहत, जल आपूर्ति संवर्धन योजना चरण-2 कोरबा के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति मई 2016 में जारी किया, जिसकी लागत ₹ 207.03 करोड़ थी। तदनुसार नगरपालिक निगम, कोरबा द्वारा रॉ वाटर पंपिंग मेन, विलयर वाटर पंपिंग मेन, विलयर वाटर ग्रेविटी मेन के लिए पीसीसीपी पाइप्स और डीआई पाइप्स की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, इंटरकनेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग कार्य के लिए जून 2016 में नोटिस इनवाइटिंग टेंडर (एनआईटी) जारी की गई। एनआईटी के अनुलग्नक ई-1 के कार्य विवरण में जल आपूर्ति मेन के लिए प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट सिलिंडर पाइप्स का उपयोग शामिल था। यह कार्य एक ठेकेदार⁵ को ₹ 115.51 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर नवंबर 2016 में दिया गया और ठेकेदार को मई 2023 तक ₹ 103.55 करोड़ (23वां चल देयक) का भुगतान किया गया।

⁵ मेसर्स द इंडियन हयूम पाइप कंपनी लिमिटेड, मुंबई

कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (मार्च 2020) लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को प्री-स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पाइप्स की आपूर्ति के लिए प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप्स के लिए लागू उच्च दरों पर भुगतान किया गया। एसओआर 2013 के अनुसार, प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप (500 मिमी से 800 मिमी) के लिए दरें ₹ 6,372 से ₹ 9,688 प्रति रनिंग मीटर तक थीं, जबकि प्री-स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पाइप्स के लिए दरें ₹ 3,371 से ₹ 6,233 प्रति रनिंग मीटर थीं। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 7.88 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में वर्णित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईटी सही तरीके से तैयार नहीं किया गया था और कार्य में उपयोग किए जाने वाले आइटमों की दरों और प्रकार/नाम में विसंगतियाँ थीं। एनआईटी के अनुलग्नक ई-1 में पाइप की विशेषताओं के अनुसार प्री-स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पाइप के लिए पीसीसीपी शब्दावली का उपयोग किया गया था, जबकि एसओआर में पीएससीपी शब्द निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआईटी में सभी डिजाइन मानदंड, विनिर्देश विवरण और मानक (आईएस: 784) प्री-स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पाइप के लिए निर्धारित किए गए थे। लेकिन मात्रा अनुसूची/एनआईटी में प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप के लिए लागू दरों को अपनाया गया। हालाँकि, विलयर वाटर ग्रेविटी मेन और विलयर वाटर पंपिंग मेन के कार्य के लिए प्री-स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पाइप्स के लिए सही एसओआर आइटम क्रमांक 20.10 और पृष्ठ (237) का संदर्भ दिया गया, जबकि रॉ वाटर पंपिंग मेन के लिए गलत एसओआर आइटम क्रमांक 19.11 और पृष्ठ (230) का उल्लेख किया गया था। इसके बाद कार्यपालन अभियंता और आयुक्त नगरपालिक निगम द्वारा एनआईटी में अगस्त 2016 में संशोधन को अनुमोदित किया गया था, जिसमें प्री-स्ट्रेस पाइप्स से संबंधित आइटम क्रमांक 20.10 (अध्याय 20) को सही संदर्भ आइटम क्रमांक 19.11 (अध्याय 19) के लिए संशोधित किया गया था, जो प्री-कास्ट कंक्रीट पाइप्स से संबंधित था। इस प्रकार, संशोधन ने मौजूदा अस्पष्टता को दूर करने के बजाय उसे सुदृढ़ किया और अनुमोदन प्राधिकारी पर गंभीर प्रश्न उठाए।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम ने जवाब में बताया (मार्च 2020) कि पीसीसीपी पाइप्स का उपयोग मात्रा अनुसूची/अनुबंध में उल्लेख के अनुसार कार्य में किया गया था। विलयर वाटर पंपिंग मेन (अनुलग्नक एफ-2) और विलयर वाटर ग्रेविटी मेन (अनुलग्नक एफ-3) के लिए मात्रा अनुसूची में टंकण त्रुटि के कारण एसओआर के पृष्ठ 230 पर आइटम क्रमांक 19.11 (दर ₹ 9,253) के बजाय एसओआर पृष्ठ 235 और 237 के आइटम नंबर 20.5 और 20.10 का गलती से उपयोग किया गया। इस मामले को सुलझाने के लिए 25 जुलाई 2016 को एक प्री-बिड बैठक आयोजित की गई और तदनुसार संशोधित जानकारी विभाग की वेबसाइट और ई-टेंडर सिस्टम पर अपलोड की गई। यह भी कहा गया कि कार्य में उपयोग किए जाने वाले पीसीसीपी पाइप्स का संदर्भ पीएचई विभाग के एसओआर के अध्याय 19 में उल्लेखित है। यह देखा जा सकता है कि रॉ वाटर राइजिंग मेन और विलयर वाटर राइजिंग मेन के लिए उपयोग किए गए पीसीसीपी पाइप्स पृष्ठ 95 और 96 में वर्णित समान श्रेणी में आते हैं। इसलिए, अनुबंध/एनआईटी की मात्रा अनुसूची में निर्धारित समान पाइपों का उपयोग ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य में किया गया और तदनुसार भुगतान किया गया।

हालाँकि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठेकेदार ने कार्य में प्री-स्ट्रेस कंक्रीट पाइप्स का उपयोग किया है जैसा कि सामग्री खपत विवरण, माप पुस्तिकाओं में दर्ज माप और पाइप्स के परीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है। ठेकेदार द्वारा एसओआर के अध्याय-19 के पृष्ठ 230 में संशोधित आइटम कोड संख्या 19.5 में संदर्भित पीसीसीपी पाइप्स का उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए कार्य में उपयोग न किए गए आइटम के लिए

ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्री-स्ट्रेस कंक्रीट पाइप्स के लिए त्रुटिपूर्ण शब्दावली अपनाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और शासन के साथ निरंतर प्रयास किये जाने के पश्चात आयुक्त, नगरपालिक निगम कोरबा द्वारा ठेकेदार के 23वें चल देयक से ₹ 8.39 करोड़ (₹ 7.88 करोड़ का अधिक भुगतान और ₹ 0.51 करोड़ ब्याज) की कटौती अप्रैल 2023 में की गई, जो कि लेखापरीक्षा के आपत्ति के आधार पर की गई। यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग, एनआईटी की तैयारी और संशोधन में शामिल अधिकारियों और ठेकेदार को अधिक भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई करे।

प्रकरण शासन के संज्ञान में अगस्त 2022 को लाया गया था। हालांकि, मई 2023 तक उत्तर आपेक्षित था।

प्र. कुमार

रायपुर

दिनांक : 11 फरवरी 2025

(यशवंत कुमार)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

२७ जन

नई दिल्ली

दिनांक : 14 फरवरी 2025

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक